भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यसम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्यार 818

उत्तार देने की तारीख : 21.11.2019

डाई-निर्माण के उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा

818. श्री राजेन्द्र धेड्या गावितः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले के प्राचीन आभूषण डाई निर्माण जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है , को लघु उद्योग का दर्जा दिए जाने की संभावना है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ख) क्या आभूषण की डाई बनाने के व्यवसाय को एक उद्योग के रूप में मान्यता देने और पर्यटन उद्योग के तहत इसके लिए बाजार तलाशने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है या इस हेतु महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई समन्वय किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडीअधिनियम, 2006) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

	विनिर्माण	सेवाएं
सूक्ष्म	25 लाख रु. तक	10 लाख रु.तक
लघु	25 लाख रु. से अधिक और 5 करोड़ रु. रु. तक	10 लाख रु. से अधिक और 2 करोड़ रु.तक
मध्यम	5 करोड़ रु. से अधिक और 10 करोड़ रु. तक	2 करोड़ रु. से अधिक और 5 करोड़ रु. तक

(ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय महाराष्ट्र सहित पूरे देश में सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इनमें पारंपरिक उद्योगों के पुनरुज्जीवन के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन की योजना (एस्पायर), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) आदि जैसी योजनाएं/ कार्यक्रम शामिल हैं।

*****